दिनांक–27.05.2026 को अपराह्न 11.00 बजे पूर्वाह्न सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में संपन्न पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डल के जिलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति–पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का परिचय लेते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिये गयेः–

1. समाहरणः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में सभी संबंधित जिलों का माह अप्रैल–मई के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध बहुत कम राजस्व वसूली की गयी है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। सभी जिलों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर आगामी बैठक के पूर्व शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डलीय जिला)

2. अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कार्रवाईः–

सभी खान निरिक्षकों को अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध नियमित औचक निरिक्षण कराने के लिए सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक को निदेशित किया गया।

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जप्त वाहनों पर अधिरोपित दण्ड की राशि एवं अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध वसुली गयी राशि के अंतर को कम किया जाय तथा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध वसुली गयी राशि को हर हाल में बढ़ाने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डलीय जिला)

3. जप्त वाहनों का अधिहरण एवं निलामीः–

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के मामले में संलिप्त वाहनों को नियमानुसार राज्यसात, अधिहरण एवं नीलामी हेतु प्रस्ताव अविलम्ब संबंधित जिला के समाहर्त्ता को भेजना सुनिश्चित करें। जप्त वाहनों को अधिरोपित दंड की राशि जमा कराने के उपरांत ही छोड़े जाने हेतु निदेशित किया गया।

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विभाग में समाहरण से संबंधित कोई भी सूचना/ऑकड़ा प्रेषित करने के पूर्व एक बार जॉच कर संपुष्ट हो लें।

(अनु0–सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमंडलीय जिला)

4. **प्रत्यार्पित बालूघाटों की समीक्षाः–**

वैसे बालूघाट जिसका पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है एवं CTE/CTO प्राप्त किया जाना लंबित है, उसके लिए सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक उच्चतम डाकवक्ता एवं RQP से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र CTE/CTO प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि ससमय बालूघाट का संचालन किया जा सके।

प्रत्यार्पित बालूघाटों के मामले में प्रत्यार्पण के कारणों की गहन समीक्षा कर निर्धारित कैपिंग और उत्खनित बालू की मात्रा की जॉच कर लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित कैपिंग से अधिक खनन नहीं हुआ है।

(अनु0–सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमंडलीय जिला)

5. **अनिलामित बालूघाटों का नीलामी नहीं होने के कारणों की समीक्षाः–**

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनिलामित बालूघाटों का नीलामी नहीं होने के कारणों की गहन समीक्षा कर प्रतिदिन समर्पित करें।

(अनु0–सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमंडलीय जिला)

6. अन्य बिन्दुः–

- माननीय न्यायालयों में CWJC/MJC से संबंधित मामला लंबित रहने एवं प्रतिकुल आदेश पारित होने की स्थिति में संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्य विभाग यदि बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए इच्छुक होते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित जिले के समाहर्त्ता की अनुशंसा प्राप्त कर आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्ताव विभाग को समर्पित करें।
- शेखपुरा, कटिहार एवं अररिया जिलों का पत्थर संबंधी DSR शीघ्र तैयार करने का निदेश दिया गया।

- बक्सर जिले के बड़े बालूघाटों को सफल बंदोबस्ती कराये जाने के लिए आवश्यक समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश खनिज विकास पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया।
- अत्यधिक बंदोबस्ती राशि पर बंदोबस्त बालूघाटों का प्रत्यर्पण की स्थिति में दूबारा नीलामी में आ रही समस्याओं के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- जिला खनन कार्यालय नालंदा, सहरसा एवं रोहतास का संचालन निजी मकानों में किया जा रहा है, जिसे किसी सरकारी भवन में शीघ्र स्थानांतरित किये जाने हेतु संबंधित जिले के समाहर्त्ता से पत्राचार करने का निदेश अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को दिया गया।
- अवैध खनन एवं परिवहन में जप्त वाहनों में लगे VLTS/GPS लॉक/अनलॉक करने हेतु टेक्निशियन की सहायता लिये जाने के लिये दर निर्धारित करने एवं इस कार्य हेतु विभाग से सभी जिलों को अतिरिक्त राशि आवंटित करने संबंधी संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
- GRN No. से OGRAS चालान के सत्यता की जॉच में आ रही समस्या के संबंध में चालानों की सत्यता की जॉच हेतु पूर्व में GRN No. के आधार पर चालान का सत्यापन होने के प्रणाली को पुनः लागू करने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध करने के लिए संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
- GPS में किये जा रहे छेड़छाड़ की रोकथाम हेतु अनुश्रवण कोषांग को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- खनिज परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में लगे GPS के खरीद हेतु आवश्यक उच्चस्तरीय मानक तय करें एवं खरीदे गये GPS तय मानक के अनुरूप है या नहीं, इसकी जॉच कराने के लिए SOP तैयार करने के निमित्त संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
- अवैध खनन में संलिप्त वाहनों की जप्ती पर लगाये गये जुर्माने की राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करने की स्थिति में प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित जिला पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

- ईंट भट्ठों से प्राप्त होने वाले राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु ईंट भट्ठा मालिकों को समय–समय पर नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया तथा जिलान्तर्गत संचालित ईंट भट्ठों की श्रेणी चिन्हित करने हेतु संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- ईंट भट्ठों से लंबित पुराने बकाया राशि के भुगतान हेतु OTS (One time Settlement) स्कीम का प्रस्ताव तैयार करने हेतु श्री विकास कुमार पासवान, सहायक निदेशक (मु0) को निदेश दिया गया।
- अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में जप्त बालू की नीलामी हेतु निविदा का प्रकाशन अविलम्ब करने का निदेश दिया गया।
- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक (**K–लाईसेंस**) भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आमजनों को प्रोत्साहित करें, जिससे आमलोगों को सुगमता से खनिज की प्राप्ति हो सके।
- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये CUG सीमकार्ड को अविलंब क्रियाशील करने का निदेश दिया गया।
- VLTS के विभिन्न माड्यूल में आवश्यक सुधार हेतु NIC के साथ बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।
- कार्य विभागों में उपयोग हुए लघु खनिजों की मात्रा के विरूद्ध काटे गये चालान तथा चालान के अनुरूप रॉयल्टी/मालिकाना फीस जमा किया गया है या नहीं, इसकी गहनता से जॉच करने एवं वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी कार्य विभागों से रॉयल्टी/मालिकाना फीस से संबंधित डाटा प्राप्त करने का निदेश दिया गया। प्रत्येक महीने रॉयल्टी/मालिकाना फीस से संबंधित समीक्षा करने हेतु सभी जिलों के आयुक्त/समाहर्त्ता को पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।
- वृहत खनिज ब्लॉकों की सूची जिलावार/मौजावार एवं उसकी KML File संबंधित जिला के खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक से तैयार कराने का निदेश दिया गया।

- राजस्व समाहरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जिलों को बालूघाटों के बंदोबस्त अवधि की समाप्ति तथा उनसे प्राप्त होने वाले समाहरण से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया।
- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राजस्व समाहरण का मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के 05 तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दें।

(अनु0–अपर सचिव, निदेशक, खान, सहायक निदेशक (मु0), खनिज विकास पदाधिकारी (मु0), सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डलीय जिला/आई0टी0 मैनेजर)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव

सं0स0–विविध (बैठक)–07/2024 ...3706..... /एम0, पटना, दिनांक–...09:06:26.....

प्रतिलिपि– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/सभी सहायक निदेशक (मु0)/सभी खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)/सभी सहायक निदेश/सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डलीय जिला/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/06/26.

सरकार के अपर सचिव

9.6.26